# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 2707/2025**

श्रीमति अर्चना शर्मा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 02.04.2025
**आदेश की दिनांक** : 23.05.2025

**अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता**

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलेहरा, डीग में व्याख्याता, भौतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रतिबंध अवधि में आलौच्य आदेश दिनांक 12.4.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलेहरा, डीग से बाबू नाथ स्वामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुरेहरा, कामन डीग में पदोन्नति पर नए पदस्थापन आदेश के नाम पर स्थानांतरित किया है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 56 किमी दूर है। प्रत्यर्थी विभाग ने उसी विद्यालय में पदोन्नति पर दिनांक 13.12.2024 (अनुलग्नक–2) को पूर्व में पदस्थापन आदेश जारी किया था तथा दिनांक 13.12.2024 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने उसी विद्यालय में व्याख्याता भौतिकी के पद पर दिनांक 18.12.2024 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को नियुक्ति देने के लिए पारदर्शिता के नाम पर दिनांक 12.4.2025 को स्थानांतरण आदेश पारित करने से पहले नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित की, लेकिन उन्हें काउंसलिंग सूची में वह स्कूल नहीं दिखाया गया जहां व्याख्याता भौतिकी का पद रिक्त है। काउंसलिंग सूची में केवल भरतपुर जिले के डीग और भरतपुर जिले दिखाए गए हैं। (अनुलग्नक–4 एवं 5) उक्त विद्यालय में व्याख्याता भौतिक का पद अभी भी रिक्त पड़ा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 4 महीने की अल्पावधि के भीतर ही कर दिया गया है। अपीलार्थी के पति पुंछरी का लोठा, डीग में कार्यरत है तथा अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलेहरा, डीग में व्याख्याता, भौतिकी के पद पर निरतंर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**